16
योजना और गैर-योजना कार्यक्रम

16.1 नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए श्रम मंत्रालय का अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए था जिसमें से 516.56 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च है । 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए मंत्रालय का स्वीकृत सारभूत परिव्यय 1500 करोड़ रुपए है जो नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 792.12 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 90 प्रतिशत अधिक है । वार्षिक योजना (2002-2003) 2003-04) के लिए परिव्यय 170 करोड़ रुपए है वार्षिक योजना जबकि 2004-05 के लिए यह 183 करोड़ रुपए है। वर्ष 2005-06 के लिए 306.08 करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय का प्रावधान किया गया है । योजनागत प्रावधान तथा व्यय ब्यौरा तालिका 16.1 में दर्शाया गया है ।

16.2 श्रम मंत्रालय के योजनागत बजट का मुख्य हिस्सा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना रोजगार सेवाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण है। खानों एवं कारखानों में कार्य दशाएं सुधारना, श्रमिक शिक्षा, श्रम संबंधी विषयों पर अनुसंधान और सांख्यिकी औद्योगिक संबंध तथा बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास अन्य महत्वपूर्ण योजनागत स्कीमें हैं।

16.3 वर्ष 2004-2005 में महिला घटक योजना के तहत 5.69 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डी.जी.ई. एंड टी. का महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ तथा महिला श्रमिक प्रकोष्ठ सिर्फ महिलाओं से संबद्ध योजनाओं के लिए है। महिलाओं से संबंधित कुल 9 परियोजनाएं हैं जिसमें से 7 केवल महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु हैं ।

16.4 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लाभ हेतु श्रम मंत्रालय में कुछ योजना स्कीमें हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) एवं अनुसूचित जाति हेतु विशेष अंगभूत योजना (एस एस पी) हैं । वर्ष 2004-2005 के लिए टी.एस.पी. तथा एस.सी.पी. के लिए 3.09 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है ।

16.5 सरकार के निर्देशानुसार बजट आबंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए रखा जाता है । श्रम मंत्रालय ने पूर्व में आबंटित कुल 181 करोड़ रुपए के आधार पर इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2004-05 के दौरान 18.10 करोड़ की निधि चिन्हित/आबंटित की है।

16.6 श्रम मंत्रालय श्रम संबंधी अनुमोदित मुद्दों पर अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देता है । वर्ष 2004-2005 के लिए 25 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है । इस संबंध में अब तक श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन और रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर कई शोध पूरे किए गए हैं । कई अन्य अध्ययन भी किए जा रहे हैं तथा कई पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

16.7 कार्यकारी समूहों की सिफारिशों और योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दसवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के आधार पर मौजूदा स्कीमों को चालू रखने की जरूरत का मूल्यांकन किया गया है और श्रम मंत्रालय द्वारा नए कार्यक्रम/स्कीमें बनाई गई हैं। परिणामस्वरूप, 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनेक नए कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं । इनमें (i) अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कौशल का परीक्षण और प्रमाणीकरण, (ii) खान सुरक्षा महानिदेशालय में कानूनी जांचों के लिए सूचना डेटाबेस, सर्वेक्षण क्षमताओं का आधुनिकीकरण और तंत्र का सदृढ़ीकरण; (iii) प्राथमिकता वाली जोखिमकारी रासायनिक प्रक्रियाओं में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और प्रवर्तन एजेंसियों में सक्षमता निर्माण और असंगठित क्षेत्र में प्रवर्तन रणनीति मार्गदर्शन का विकास, (iv) केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण विंग का सुधार और सदृढ़ीकरण ; (v) "बाल श्रम उन्मूलन पर और अधिक भारत-अमरीकी सहयोग " पर संयुक्त बयान के अनुसरण में विकसित की जा रही यू एस-डोल परियोजना शामिल हैं । परियोजना का उद्देश्य जोखिमकारी उद्योगों में 2005 तक बाल श्रम का पूरी तरह उन्मूलन करना है ।

16.8 श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के लिए 306.08 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय (सी डब्ल्यू 22.15 करोड़ रु.) प्रस्तावित है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 233.66 करोड़ रुपए और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 72.42 करोड़ रुपये है। 2005-06 के दौरान प्रस्तावित उच्चतर परिव्यय मूलतः डी जी ई एंड टी द्वारा प्रस्तावित नई केंद्र प्रायोजित योजना के कारण है जिसके तहत 45 करोड़ रु. के प्रस्तावित परिव्यय से आई टी आई को उत्कृष्टता केन्द्रों में स्तरोन्नत करना है। इसके अलावा, 10 करोड़ रु. का बजट परिव्यय जम्मू और कश्मीर में आई टी आई का सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण, नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए प्रस्तावित है जिसे केन्द्र प्रयोजित एक अल्प चालू योजना के साथ मिलाकर पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू और कश्मीर में नये आई टी आई की स्थापना नामक नया नाम दिए जाने का प्रस्ताव है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रारंभ नामक केन्द्र प्रायोजित एक अन्य योजनान्तर्गत 1 लाख रुपये का प्रतीकात्मक प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने ये दो योजनाएं 2004-05 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण और संसद में माननीय राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण के अनुसरण में तैयार की गई हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में 50 अन्य नए जिलों को तथा बाल श्रम अंतर्गत भारत-अमरीकी परियोजनाओं में 21 जिलों को शामिल करने के लिए लगभग 52 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

16.9 मंत्रालय के योजनागत कार्यक्रमों के अलावा, मंत्रालय के पास रोजगार और प्रशिक्षण, अनुकूल औद्योगिक संबंधों के सुनिश्चियन, सुरक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और सांख्यिकी अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के कल्याण के साथ-साथ अन्य सचिवालय सामाजिक सेवाओं और बीड़ी श्रमिकों, लौह अयस्क श्रमिकों, चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट, अभ्रक खान श्रमिकों तथा सिने श्रमिकों आदि के कल्याणार्थ अन्य योजना जैसे विभिन्न क्रियाकलापों वाले गैर-योजना कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इन श्रमिकों हेतु सृजित कल्याण निधियों के जरिए किया जाता है।

16.10 2003-04 के दौरान 825.54 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की जगह गैर-योजना व्यय 794.51 करोड़ रुपए रहा जिसे 2004-05 (बजट अनुमान) के लिए बढ़ाकर 878.82 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गैर-योजना बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा व्यय का ब्यौरा सारणी 16.2 मे दिया गया है।

सारणी 16.1

श्रम योजनागत प्रावधान और व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्रम	प्रभाग/स्कीम	नवीं योजना 1997-2002		10वीं योजना 2002-2007	वार्षिक योजना 2002-2003		वार्षिक योजना 2003-2004		वार्षिक योजना 2004-2005 अनुमोदित परिव्यय
		परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	परिव्यय	वास्तविक व्यय	परिव्यय	अनुमानित व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डी.जी.ई.टी.								
	(क) प्रशिक्षण	37.00	27.53	36.66	14.79	2.23	14.79	14.47	6.37
	(ख) प्रशिक्षण	301.40	194.72	363.34	42.16	31.15	42.16	38.86	5.46
2.	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (डी.जी.एम.एस. एवं डी.जी. फसली)	65.00	13.32	107.40	8.45	2.41	8.45	5.45	11.30
3.	औद्योगिक संबंध	38.56	18.26	37.20	7.75	5.12	7.75	7.06	6.18
4.	बाल श्रमिक	249.60	178.51	667.50	70.10	65.13	72.43	72.83	99.05
5.	महिला श्रमिक	1.00	0.61	2.50	0.46	0.20	0.46	0.46	0.26
6.	श्रमिक सांख्यिकी	30.00	31.31	112.00	8.34	5.92	8.34	7.35	6.18
7.	एन एल आई	10.75	10.41	12.00	2.65	2.65	2.65	2.65	2.85
8.	सहायता अनुदान स्कीम एवं अनुसंधान अध्ययन	1.00	0.65	3.00	0.20	0.11	0.20	0.20	0.25

9.	श्रमिक शिक्षा	15.00	14.66	35.00	7.00	6.04	8.67	8.67	9.00
10.	बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास	35.30	24.43	44.00	2.00	3.45	3.00	3.00	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	अन्य योजनाएं (हमालों के लिए आवास सूचना प्रौद्योगिकी, अनुभागों का आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन,कृषि सामाजिक सुरक्षा योजना, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर नई पहल आदि)	7.51	2.15	79.40	6.10	1.16	1.10	1.00	1.10
12.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय (डी जी ई एण्ड टी के अलावा)					0.81			
	योग	792.12	516.56	1500.00	170.00	126.38	170.00	162.00	181.00

सारणी 16.2

गैर-योजगागत व्यय का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

योजना	2002-2003		2003-2004		2004-2005
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान
सचिवालय सामाजिक सेवाएं	13.00	11.73	15.20	13.05	15.50
अनुसंधान व सांख्यिकी	3.80	3.89	4.10	4.23	4.30
औद्योगिक संबंध	17.86	16.28	18.61	16.51	18.33
कार्यदशाएं एवं सुरक्षा	24.50	22.23	25.30	23.13	25.50
श्रमिक शिक्षा	15.40	15.20	18.00	18.00	18.00
श्रमिक कल्याण योजनाएं	116.32	81.80	114.64	99.82	122.25
आरक्षित निधि में हस्तांतरण	117.65	110.36	112.65	109.75	112.00
सामाजिक सुरक्षा	490.92	415.00	462.50	463.31	513.00
अंतराष्ट्रीय सहयोग	4.30	4.00	4.54	4.34	4.60
अन्य अनुदान दुर्घटना में मारे गए एच.डी. अंतर-राज्यिक वाहन चालकों के परिवारों को क्षतिपूर्ति	0.30	0.00	0.15	0.00	0.00
अन्य मदें	1.65	1.45	2.06	1.71	2.26
अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण	2.35	1.67	2.74	2.02	1.8
सहायक सामग्री तथा उपकरण	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
रोजगार	16.50	14.95	17.50	16.06	16.20

प्रशिक्षण	**24.80**	**22.50**	**27.55**	**22.58**	**25.08**
कुल	**849.54**	**721.06**	**825.54**	**795.51**	**878.82**

****